न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :-हरि राम मीना ,आर.ए.एस

(223 आर.टी.एक्ट)

ल संख्याः-45 / 18

सी.एम.एस .संख्याः-2018 / 00060

उनवान

लक्ष्मीनारायण पुत्र प्रतापा जाति तेली पेशा काश्तकारी निवासी भाडौती तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।

..............अपीलांट।

बनाम

1. देवचन्द पुत्र हरफूल
2. किशनलाल पुत्र हरफूल(फौत)
   2/1. मटोली देवी पत्नि किशनलाल
   2/2. सुरेशचन्द पुत्र किशनलाल
   2/3. पुखराज पुत्र किशनलाल
3. देवपाल पुत्र हरफूल(फौत)
   3/1. हनुमान पुत्र देवपाल
   3/2. मुकेश पुत्र देवपाल
   3/3. राजन्ती पुत्री देवपाल
   3/4. केशन्ती पुत्री देवपाल
   3/5. बसन्ती पुत्री देवपाल
4. गोकुल पुत्र हरफूल
   समस्त जातियान मीना निवसीयान ग्राम भाडौती तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।
5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।

..............रेस्पोडेन्टस्।

उपस्थितः-

1. श्री चिरंजीलाल सैनी अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री राधेश्याम वैष्णव अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री पैरोकार सरकार रेस्पोडेन्ट नं.05।

अपील अधिकारी
माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 11:44:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

—::निर्णय::—

दिनांक 16.01.23

यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी उपखण्ड़ मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर में दायर राजस्व वाद संख्या 65/2015 बरनवान शांति बनाम देवचन्द में पारित निर्णय दिनांक 22.03.2018 के विरुद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद पत्र मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी मलारना डूंगर के समक्ष अन्तर्गत धारा 88, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रतिवादीगण ने वादी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1872 रकबा 0.18 है0 वाके ग्राम भाड़ोती के कुछ हिस्से पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया है। प्रतिवादीगण खसरा नम्बर 1869 रकबा 0.08 है0 के खातेदार जो खसरा नम्बर 1872 के पास स्थित है। अतः प्रतिवादीगण को खसरा नम्बर 1872 से बेदखल किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी मलारना डूंगर ने दिनांक 22.03.18 को आदेश पारित करते हुए प्रतिवादीगण को केवल स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया। यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष वादी/ अपीलांट ने इस कारण से पेश की है कि मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने तक ही सीमित है। वादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान नही किया गया है।

अपील मीमों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ग्राम भाडोती में खसरा नम्बर 1872 रकबा 0.18 है0 किस्म नहरी 2 स्थित है। वादीगण के उत्तर में प्रतिवादी सं0 01 की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1869 रकबा 0.08 है0 है। जिसमें प्रतिवादी सं0 02 व 03 का कब्जा है। प्रतिवादीगण ने नजरी नक्शे में दिखाई एफ.ई. मार्क पर नयी दीवार का निर्माण दिनांक 20.06.15 को नींव खोदकर करना शुरू कर दिया जिससे वादी की भूमि ए. से ई. पर उत्तर दक्षिण 16 फिट व ई.से एफ. 91 फिट भूमि को दबाते हुए बिना किसी अधिकार के अतिक्रमण कर लिया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी मलारना डूंगर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जावे कि स्थाई निषेधाज्ञा के साथ बेदखली के बिन्दु पर भी निर्णय पारित करे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोन्डेन्ट को सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 11:44:48 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी
धोपुर

Scanned with CamScanner

5. मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर द्वारा पारित निर्णय में वादी/ अपीलांट को चाहा गया मुख्य अनुतोष पूर्ण रूप से मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर द्वारा नही दिया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जावे कि बेदखली के बिन्दु पर भी स्पष्ट निर्णय पारित किया जावे।

6. जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि प्रतिवादीगण का वादीगण की किसी भी भूमि पर कोई कब्जा नही है। वादीगण भूमि की पैमाइश करवा सकते है। प्रतिवादीगण को भूमि पैमाइश पर कोई ऐतराज नही है। यदि भूमि पैमाइश में वादीगण की भूमि प्रतिवादीगण के हिस्से में निकलती है तो प्रतिवादीगण उसे छोडने को तैयार है। वादीगण ने यह मुकदमा महज प्रतिवादीगण को नाजायज परेशान करने के लिए किया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

7. उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकरन किया गया ।

8. रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत् 2068–2071 के अनु… खसरा नम्बर 1869 रकबा 0.08 है0 देवचन्द पिसरान हरफूल के नाम दर्ज रिक… है तथा खसरा नम्बर 1872 रकबा 1872 रकबा 0.18 है0 शाति देवी बेवा प्रता… लक्ष्मीनारायण पुत्र प्रतापा के नाम दर्ज रिकार्ड है। अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 22.03.2018 के अवलोकन से जाहिर आया कि वादी द्वारा 02 मुख्य अनुतोष चाहे गए थे–

(1) प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें।
(2) वादी की भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जावें।

मातहत अदालत ने **प्रथम** अनुतोष प्रदान करते हुए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा के प्रश्न को निर्णित कर दिया है परन्तु **द्वितीय** अनुतोष को निर्णित ही नही किया। अतः… अदालत मातहत द्वारा वाद को संपूर्ण रूप से निर्णित नहीं किया गया है।

9. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पाए जाने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है और अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वाद में द्वितीय अनुतोष "वादी की भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल किया… …सुनवाई का अवसर देते हुए निर्णित किया जावें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो…

…पील अधिकारी
…ई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 11:44:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

10. उभयपक्षकारान अदालत मातहत उपखण्ड़ अधिकारी मलारना डूंगर में दिनांक 17.02.2023 को सुनवाई हेतु उपस्थित हो।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिले दफ्तर हो, नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 16.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 11:44:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner